न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 16 / 2020 दायरा दिनांक : 14.02.2020

उनवान

1— बाबू लाल पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु 62 साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— खेमचन्द पुत्र उदा, जाति गाडरी, आयु 72 साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— लक्ष्मण पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु ..... साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— जगन्नाथ पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु ...... साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— सलीम मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— इस्लाम मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— इनायत मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— शराफत मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– शकीला पुत्र सुबराती पत्नी शफीक, जाति फकीर, निवासी खिलचीपुर, तहसील/थाना खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

6– रजिया पुत्री सुबराती पत्नी कल्लू, जाति फकीर, निवासी खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

7– ख्वाजी बाई बेवा सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– मदन पुत्र भंवरलाल, जाति गाडरी, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– फूलचन्द पुत्र भंवरलाल, जाति गाडरी, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 92/दावा/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विवादग्रस्त आराजी खाता

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

संख्या 558 खसरा नम्बर 317 रकबा 9 बिस्वा भूमि के बाबत एक वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं करवायी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध पत्र संग्रहसार के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बगैर जवाबदेही प्रस्तुत किये बगैर व साक्ष्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को सुने बगैर गैर कानूनी तरीके से निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेंट ने विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज दादा जी परथा व उदा पिसरान सीताराम जाति गाडरी सकनाये किशनपुरा को सुबराती वल्द धूलिया व हसन शाह वल्द जीवनशाह अकवाम फकीर निवासी मनोहरथाना ने दिनांक 11.07.1959 को स्टाम्प पर बेचान कर दी थी तब से अपीलांट व उनके पूर्वजों का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं मिला । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2015 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.12.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हमें 1987 में बेचान कर दी थी तथा वादग्रस्त आराजी पर हमरा कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश करने का अवसर भी हमें नहीं मिला है तथा हमें प्रोपर तामील भी नहीं करवायी । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे खिलाफ एक तरफा निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया । हमारे खाते की 9 बिस्वा पर अपीलांट ने कब्जा कर लिया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पैमाइश रिपोर्ट में भी अपीलांट का अतिकमण पाया गया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.10.2009 को कैलाश चन्द वकील ने अन्डर टेकिंग दी थी उसके बाद वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इनके खिलाफ दिनांक 11.08.2011 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । हमने अपने पक्ष के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश किये । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा एक्स पार्टी डिकी कर दिया तथा डिकी की पालना हो गई । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी दिला दिया । अपील के आधार पर अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 11.07.1969 को खरीदना बताया । शपथ पत्र के साथ आर्डर 41 नियम 27 की प्रार्थना भी अपीलांट द्वारा नहीं लगायी गई तथा शपथ पत्र में आराजी का खसरा नम्बर भी अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी सही है । अतः अपील खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1990 पेज 20 पेश की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सम्मन सलंग्न है जिन पर प्राप्तकर्ता के अंगूठा निशानी अंकित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही बावजूद अनुपस्थिति के की गई है, जो सही है । अपीलांट द्वारा एक अपंजीकृत विकय पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर एवं रकबे का कोई उल्लेख नहीं है । इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आराजी का विकय रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को किया गया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
टोंक (राज.)

है और अपंजीकृत दस्तावेज का कोई औचित्य नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने एक्जीविट पी 1 जमाबंदी सम्वत 2064–67 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया है जो मुताबिक रेकार्ड सही है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बाबू लाल पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु 62 साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
2– खेमचन्द पुत्र उदा, जाति गाडरी, आयु 72 साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
3– लक्ष्मण पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु ..... साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
4– जगन्नाथ पुत्र परथा, जाति गाडरी, आयु ...... साल, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.......अपीलांट

बनाम

1– सलीम मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
2– इस्लाम मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
3– इनायत मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
4– शराफत मोहम्मद वल्द सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
5– शकीला पुत्र सुबराती पत्नी शफीक, जाति फकीर, निवासी खिलचीपुर, तहसील/थाना खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
6– रजिया पुत्री सुबराती पत्नी कल्लू, जाति फकीर, निवासी खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश
7– ख्वाजी बाई बेवा सुबराती, जाति फकीर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
8– मदन पुत्र भंवरलाल, जाति गाडरी, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
9– फूलचन्द पुत्र भंवरलाल, जाति गाडरी, निवासी किशनपुरिया मजरा मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
10– राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

अपील नं. <u>16/2020</u> व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
मु.द.नं 92/दावा/2009 निर्णय एवं डिकी दिनांक – 26.02.2015

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 05 माह 02 सन् 2021

हाजरी **श्री अमर सिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री इन्द्रलाल गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.02.2015 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राज.